168

पत्र संख्या-एम-4-07/2017....5593..../वि0,

बिहार सरकार

वित्त विभाग

प्रेषक,

सुजाता चतुर्वेदी,
प्रधान सचिव ।

सेवा में,

सभी प्रधान सचिव/सभी सचिव/
सभी विभागाध्यक्ष/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/
सभी जिला पदाधिकारी,
बिहार, पटना ।

पथ निर्माण विभाग का गोपनीय कोषांग, पंजीयन सं०- 6455, 11 AUG 2017, बिहार, पटना

पटना, दिनांक- 11/8/17

विषयः- भागलपुर जिले में सरकारी खाते से जालसाजी द्वारा धोखाधड़ी, वित्तीय अनियमितता तथा सरकारी राशि की अवैध निकासी के आलोक में विभागों/कार्यालयों के अधीन संधारित बैंक खातों में संधारित राशि की जाँच के सम्बन्ध में ।

महाशय,

उपरोक्त विषय के संबंध में कहना है कि जिला पदाधिकारी, भागलपुर के द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि भागलपुर जिले में मुख्यमंत्री नगर विकास योजना के संचालनार्थ इंडियन बैंक, भागलपुर में संधारित सरकारी बैंक खाते से जालसाजी एवं धोखाधड़ी कर सरकारी राशि की अवैध निकासी कर ली गयी है ।

अतः उपरोक्त के आलोक में अनुरोध है कि निम्नलिखित कार्रवाई अविलम्ब सुनिश्चित की जाय :-

i) आपके कार्यालय में संधारित सभी बैंक खातों का अद्यतन बैंक स्टेटमेंट प्राप्त कर रोकड़बही से उसका मिलान करा लिया जाय एवं किसी प्रकार की गड़बड़ी पाये जाने पर दोषी व्यक्तियों को चिन्हित करते हुये उनके विरूद्ध विधि सम्मत कार्रवाई की जाय एवं कृत कार्रवाई से वित्त विभाग को अवगत कराया जाय ।

ii) प्रत्येक जिला पदाधिकारी अविलम्ब यह प्रमाण पत्र देंगे कि उनके द्वारा ऐसी जाँच संपन्न करा ली गयी है ।

iii) भविष्य में बैंक खातों में संधारित सरकारी राशि की शुद्धता की जाँच नियमित रूप से प्रत्येक माह में कराया जाय ।

विश्वासभाजन

10/8/17

(सुजाता चतुर्वेदी)
प्रधान सचिव